

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार के पत्रांक सं०सं०-18/बैठक-06/2022-1408(18) दिनांक 12.09.2024 एवं महिला एवं बाल विकास निगम के पत्रांक WCDC/2155/24 दिनांक 20.06.2024 के द्वारा संसूचित किया गया है कि कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम - 2013 के अनुपालन में महिला कर्मियों का ऑनलाईन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है।

अतः उक्त के सापेक्ष में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करेंगे। जिसके लिए महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा लिंक (<https://bit.ly/POSHcourse>) उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें आप सभी अपने-अपने निजी मोबाईल नं० एवं ई-मेल आई डी के माध्यम से Enroll करने के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षणोपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि सरकार को ससमय अधिसूचित की जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

ह०/-

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 1858/24

मुज०, दिनांक:- 20.09.2024

प्रतिलिपि - अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - डॉ० रमाकांत प्रसाद, नोडल पदाधिकारी, लैंगिक उत्पीड़न-सह-विभागाध्यक्ष औषधि विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - कॉलेज वेबसाइट, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Abha Rani Singh

19/9/24.

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर
19/9/24